सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 28.06.2024

लूट का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू एवं घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.06.2024 को वादी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्याम बिहारी निवासी ग्राम फूलापुर थाना वैदपुरा जनपद इटावा द्वारा थाना वैदपुरा पर सूचना दी गयी कि जब वह अपने ऑटो सं0 UP75BT7684 के साथ नगला बरी तिराहे पर सवारियों का इन्तजार कर रहा था इसी दौरान 03 व्यक्तियों ने मोटर साइकिल से आकर अपने साथी की तबीयत खराब कहकर दो व्यक्ति ऑटो में बैठ गये तथा एक अन्य व्यक्ति मोटर साइकिल से पीछे-पीछे आने लगा इसी दौरान छिमारा पुल के पास ऑटो में बैठे व्यक्ति द्वारा वादी की गर्दन पर चाकू लगाकर ऑटो रूकवा लिया एवं ऑटो लूटने का प्रयास करने लगे इसी दौरान पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर 02 व्यक्ति मोटर साइकिल पर बैठकर भाग गये **एवं 01 व्यक्ति को मेरे द्वारा पकड़ लिया गया। सूचना पर तत्काल थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 40/2024 धारा 393 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.06.2024 को थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा बर्रा तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि छिमारा पुल के पास लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त मोटर साइकिल से नगला बरी की ओर से इसी बर्रा तिराहे की ओर आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा बर्रा तिराहे पर सघन चैकिंग की जाने लगी। **इसी दौरान मोटर साइकिल पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखायी दिये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये बर्रा तिराहे के पास से समय करीब समय करीब 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो अभियुक्त निर्मल उर्फ गोलू के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया एवं पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने छिमारा पुल के पास 01 ऑटो चालक से ऑटो एवं मोबाइल लूटने का प्रयास किया गया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 40/2024 धारा 393 भादवि में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

एवं बरामद मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सोनू पाल पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम नगला गडरियान थाना वैदपुरा जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष।**
2. निर्मल उर्फ गोलू पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम नगला गडरियान थाना वैदपुरा जनपद इटावा **उम्र 20 वर्ष।**
3. गौरव उर्फ आशीष पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम नगला गडरियान थाना वैदपुरा जनपद इटावा **उम्र 21 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 40/2024 धारा 393 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 अवैध चाकू।
2. 01 मोटर साइकिल **(नं0 UP75AR1473 घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम –उ0नि0 श्री सनत चौधरी थानाध्यक्ष वैदपुरा, उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 श्रीकृष्ण, का0 विपिन कुमार, का0 जितेन्द्र सिंह।